राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065
ई–मेलः rmsc.supply2@gmail.com
CIN: U24232RJ2011SGC035067
Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2021 3100 दिनांक : 3/2/2022

कार्यालय आदेश

M/s BDR Pharmaceuticals Int'l Pvt. Ltd, A-284, 1st Floor, Vikaspuri New Delhi-110018 को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(272)/RMSC/PROCUREMENT /DRUG/NIB-14/2019/1161 दिनांक 23.10.2019 के तहत औषधि Bortezomib Injection 2mg [730] के क्रयादेश क्रमांक 230 दिनांक 03.05.2021 के द्वारा 187 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 1900 दिनांक 13.11.2020 के द्वारा 115 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 96 दिनांक 15.04.2020 के द्वारा 570 मात्रा 75 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे।

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरूद्ध आपूर्ति नहीं करने पर पत्रांक 1267 दिनांक 27.07.2021 द्वारा नोटिस जारी किया गया। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 15.12.2021 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को नोटिस भिजवाने के बावजूद फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि अनुशासनात्मक समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अनुशासनात्मक समिति ने विचार–विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की आपूर्ति नहीं की गई हैं, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लघंन है।

अनुशासनात्मक समिति पत्र दिनांक 04.01.2022 की अनुशंषा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता फर्म M/s BDR Pharmaceuticals Int'l Pvt. Ltd, A-284, 1st Floor, Vikaspuri New Delhi-110018 को औषधि Bortezomib Injection 2mg [730] हेतु यह आदेश जारी करने की दिनांक से दो वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(अनुपमा जोरवाल)
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2021 3107 दिनांक : 3/2/2022

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/नई दिल्ली।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिकस), आरएमएससीएल जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
12. M/s BDR Pharmaceuticals Int'l Pvt. Ltd, A-284, 1st Floor, Vikaspuri New Delhi-110018
13. गार्ड फाईल।

विशेषाधिकारी
आर.एम.एस.सी.